

18 नवंबर 2021

प्रो० एस०एन०मिश्र  
संपादक

श्रीमान् / श्रीमती,

आपको यह जानकर हर्ष होगा कि संस्थान की लोकप्रिय अर्धवार्षिक पत्रिका लोकप्रशासन का चौदहवां विशेषांक (जुलाई—दिसम्बर 2022) "शासन में नवीनीकरण" विषय पर प्रकाशित होगा।

हमें आशा है कि पत्रिका के इस विशेषांक के लिए भी आप अपने ओजपूर्ण ज्ञान पर आधारित इस विषय के किसी महत्वपूर्ण पक्ष पर एक विचारोत्तेजक लेख 3000—5000 शब्दों में लिखें जिसके साथ 150 शब्दों का सारांश भी भेजें। चूंकि इन लेखों की समीक्षकों द्वारा समीक्षा होगी, इसलिए अपना लेख कृपया 30 मार्च 2022 तक ईमेल द्वारा ([lokprashasan2008@gmail.com](mailto:lokprashasan2008@gmail.com)) पर अवश्य भेज दें।

विशेषांक के विषय की पृष्ठभूमि पर एक लघु लेख सलंगन है।

सधन्यवाद,

भवदीय

(एस०एन०मिश्र)

## शासन में नवीनीकरण

लोक प्रशासन अपने उद्भव से ही व्यापक बदलावों से गुजरता रहा है। वर्तमान समय में यह जटिल हो गया है और प्रबुद्ध लोक शासन की ओर अग्रसर हो रहा है। सरकार, बाजार और नागरिक समाज संगठन अपने नागरिकों के लिए कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। लोक प्रशासन अपने पारंपरिक टॉप-डाउन पदसोपानिक ढांचे में वर्तमान समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं है। यहाँ तक की जटिल समस्याओं से निपटने के लिए कार्यात्मक इकाइयां बढ़ाने का परंपरागत लोक प्रशासन का तरीका भी सार्थक नहीं रह गया। अतएव, ध्यान सु-शासन, मानवीय शासन तथा निगमनात्मक शासन की ओर परिवर्तित हो गया है। शासन के माध्यम से लोक प्रशासन को शासन का ही एक प्रकार माना जा रहा है। शासन की अवधारणा औपचारिक सरकार की बजाय, गैर-नौकरशाही संस्थाओं के द्वारा सरकार के लिए संभावनाएं खोलती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक प्रशासन सुधार एवं परिवर्तन की प्रक्रिया में है। इसका परिदृश्य व्यापक हो रहा है और यह नए रूप ग्रहण कर रहा है। यह पूर्णतया बाजार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्यमशीलता और उपभोक्ता संतुष्टि की ओर बढ़ रहा है। इनके कारण सरकार, निजी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के बीच नई भागीदारी निर्मित हो रही है। सरकार को अब योजना बनाने, विचार-विमर्श करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों और व्यवसायों के साथ संवाद एवं अंतर्क्रिया करनी होगी।

इस बदलते हुए परिवेश के संदर्भ में शासन की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सुशासन की अवधारणा का जिक्र विश्व बैंक के रिपोर्ट में पाया जाता है। विश्व बैंक ने इस शब्द का प्रयोग अलग संदर्भ में विकास के लिये किया। विश्व बैंक ने अपने दस्तावेज में शासन को उन शक्तियों के रूप में अभिव्यक्त किया जिनको सरकार राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रबंधन में प्रयोग करती है। शासन निम्न तत्वों पर निर्भर करता है—पहला, सरकार के राजनीतिक स्वरूप पर (संसदीय या अध्यक्षीय, सैन्य या नागरिक, अधिनायकवादी या लोकतांत्रिक); दूसरे, देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सत्ता द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया और तीसरे नीतियों तथा उनके क्रियान्वयन में सरकार की क्षमता।

शासन के साथ-साथ विश्व बैंक ने सु-शासन की आवश्यकता पर भी बल दिया है। इसका अर्थ है कि सरकार अधिक खुली, जिम्मेदार, पारदर्शी, उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक होनी चाहिये। इसका तात्पर्य निजी क्षेत्र को नियमित करना और नागरिक संस्थाओं को मजबूत करना भी है। शासन की आधारभूत विशेषताएं हैं—भागीदारी, पारदर्शिता, विधि का शासन, जिम्मेदारी, समता, प्रभावकारिता तथा सक्षमता, उत्तरदायित्वता तथा भविष्यसूचकता। ये विशेषताएं शासन की गुणवत्ता को बढ़ाती हैं।

दूसरे शब्दों में, शासन में गैर-औपचारिक संगठनों को उन कार्यकलापों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र में थे। यह निजी क्षेत्र की तुलना में सरकार को संचालन और नियमन की भूमिका प्रदान करता है। सरकार अब स्वायत्त और अधिकारिक कर्त्ता नहीं रही। बल्कि अब इसकी निर्भरता निजी क्षेत्र पर बढ़ती जा रही है। साथ ही अनेक लोक नीतियां सार्वजनिक एवं निजी कर्त्ताओं की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा विकसित, निर्मित एवं क्रियान्वित की जा रही हैं दूसरे शब्दों में, इसे सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) कहा जा रहा है।

शासन का स्वरूप सरकार से अधिक व्यापक है। यह सामूहिक क्रियाओं तथा विभिन्न पणधारियों की नेटवर्किंग पर अत्याधिक बल देता है। हम सरकार से शासन की ओर बढ़ गये हैं। विधियों, नीतियों, संगठनों, सहकारी प्रबंधों और समझौतों को फिर से लिखा जा रहा है, जिससे नागरिकों और जन दायित्वों को नियमित किया जा सके। सरकार संस्थागत है; जबकि शासन संस्थागत एवं नेटवर्कड (networked) है।

विगत वर्षों में शासन की अवधारणा एवं क्रियान्वयन में आमूल परिवर्तन हुए हैं। शासन अब पूर्णतः लोक कल्याण की तरफ बढ़ रहा है। जनता भी जागरूक हो गयी है और उनकी आकांक्षाएं दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। बिना शासन के उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति संभव नहीं है। विकेन्द्रीकरण के कारण जन सहभागिता में आपार वृद्धि हुई है। संचार में नवीन तकनीक के आगमन से शासन अधिक पारदर्शी और ध्येयपूर्ण हो गया है। साथ ही लोगों की आकांक्षाएं भी उतनी ही बढ़ गयी हैं। इसके लिए प्रशासन को भी नये तकनीकों का प्रयोग तथा दूरदर्शिता को दर्शाना होगा अन्यथा लोगों में घोर निराशा पैदा हो जायेगी। बदलते हुए परिवेश में शासन में भी बदलाव लाना होगा। शासन एक सतत प्रक्रिया है जो अविरल चलती रहेगी। इसके लिए सरकार, सरकारी तंत्र एवं इनसे जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी सोच बदलनी होगी और शासन प्रक्रिया में नये-नये प्रयोगों द्वारा नवीनता लाना होगा। जड़ता को त्यागना होगा। सूचना का अधिकार इस दिशा में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण कदम है। कोविड काल में शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि सूचना क्रांति एवं उसके प्रयोग से ईशासन को सुचारु रूप से चलाया जा सकता है। इसे और सुदृढ़ और नागरिक उपयोगी बनाने की जरूरत है।

इस परिचात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए लेखकों से अनुरोध है कि वह अपने मौलिक विचार एवं प्रशासन के बदलते हुए आयामों को ध्यान में रख कर अपना शोध-आलेख नीचे दिए गए किसी एक विषय पर भेजें।

1. शासन एक सैद्धान्तिक परिपेक्ष्य
2. शासन के बदलते आयाम
3. शासन और लोकनीति
4. शासन और विकेन्द्रीकरण
5. शासन और सूचना क्रांति
6. शासन और सूचना का अधिकार
7. शासन और नागरिक अधिकार पत्र
8. शासन और जन सहभागिता
9. शासन और ई-शासन
10. शासन अवसर एवं चुनौतियाँ
11. शासन में नवीनीकरण
12. शासन और नैतिकता
13. शासन:सबका साथ सबका विकास
14. शासन और आत्मनिर्भरता
15. गांधी और समावेशी विकास

लेखकों से निवेदन है कि वह हमें अपना लेख 30 मार्च 2022 तक 3000 से 5000 शब्दों के भीतर, साथ ही 150-200 शब्दों का सारांश भी नीचे लिखे email पर भेज दें क्योंकि यह लेख समीक्षा के लिए समीक्षकों के पास जायेंगे।

email: [lokprashasan2008@gmail.com](mailto:lokprashasan2008@gmail.com)

सम्पादक (लोकप्रशासन)  
प्रो० एस०एन०मिश्रा  
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान  
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड,  
नई दिल्ली-10002

